भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ
BHARATIYA PRATIRAKSHA MAZDOOR SANGH
(AN ALL INDIA FEDERATION OF DEFENCE WORKERS)
(AN INDUSTRIAL UNIT OF B.M.S.)
(RECOGNISED BY MINISTRY OF DEFENCE, GOVT. OF INDIA)

CENTRAL OFFICE: 2-A, NAVEEN MARKET, KANPUR – 208001, PH & FAX : (0512) 2332222
MOBILE: 0915733686, 09235729390, 09335621629, WEB : www.bpms.org.in

Dated:- 15/03/2015

सातवें वेतन आयोग से भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का प्रतिनिधि मंडल मिला –

जिसमें श्री पी0 मोहनराव चेन्नई, श्री साधू सिंह कानपुर, श्री मुकेश कुमार सिंह कानपुर, श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी कानपुर, श्री एस0के0 सिंह, नवल डाक यार्ड बाम्बे, श्री वीरेन्द्र शर्मा दिल्ली उपस्थित थे।

प्रतिनिधि मंडल से सातवे वेतन आयोग ने कुछ Feedback लिये जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुयी–

1. छठे वेतन आयोग की कुछ विसंगतियॉ जैसे एम0ए0सी0पी0 पर चर्चा करते हुए प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि छठे वेतन आयोग द्वारा एम0ए0सी0पी0 द्वितीय ग्रेड पे में दिये जाने के कारण अनेकों विसंगतियॉ पैदा हुयी। एक जैसे कर्मचारियों को अलग–अलग ग्रेड पे में एम0ए0सी0पी0 प्राप्त हुयी– जैसे औघोगिक कर्मचारियों को 30 वर्ष में सभी को 4600/– ग्रेड पे मिलना चाहिए था परन्तु कुछ कर्मचारियों को 4200/– कुछ को 2800/– ग्रेड पे मिला जिससे कर्मचारियों में असंतोष है मॉग की गयी कि ए0सी0पी/एम0ए0सी0पी0 Promotional grade pay में मिलना चाहिए

   वेतन आयोग ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से विचार विमर्श करके ए0सी0पी/एम0ए0सी0पी0 की विसंगतियों को दूर किया जायगा।

2. ग्रुप "सी0" के वेतन मानों को मर्ज करते हुए अपग्रेड करने का सुझाव दिया जैसे 1800/– ग्रेड पे को अपग्रेड करके 1900/– देना और वर्तमान में 1900/– और 2000/– ग्रेड पे को मर्ज करते हुए 2400/– में अपग्रेड करना, 2400/– ग्रेड पे को 2800/– में अपग्रेड करना, 4600/– और 4800/– को मर्ज करके 4800/– ग्रेड पे देना।

   वेतन आयोग के प्रतिनिधि ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव लिये जा रहे है।

3. प्रमोटी और रिकूटी के वेतनमान के वेतनमान एक समान होने चाहिए। छठे वेतन आयोग ने रिकूटी कर्मचारियों के लिये ग्रेड पे अनुसार न्यूनतम पे बैण्ड निर्धारित थे और प्रमोटी कर्मचारी के लिए 3 प्रतिशत पदोन्नति लाभ देने के बाद न्यूनतम से काफी कम रह जाता था।

   इस विषय पर वेतन आयोग ने आश्वासन दिया कि ऐसी विसंगतियॉ दूर की जायेगी।

4. वार्षिक वेतन वृद्वि की विसंगति को दूर करना जिससे प्रत्येक कर्मचारियों को 12 महीने में वेतन वृद्वि मिलना सुनिश्चित हो। जो कर्मचारी जनवरी से जून के बीच सेवा निवृत होते है जिन्हे एक अतिरिक्त वेतन वृद्वि देकर पेंशन का निर्धारण किया जाय क्योंकि वेतन वृद्वि की पात्रता सेवा छः माह है।

   इस पर वेतन आयोग के प्रतिनिधि ने कोई टिप्पणी नही की।

5. जो कर्मचारी नेवल डाकयार्ड और ई0एम0ई0 मे छठे वेतन आयोग के पूर्व एच0एस0 तथा पांचवे वेतन आयोग के पूर्व सीधे एच0एस0–1 में भर्ती होते थे उन्हे एच0एस–1 के वेतनमान अर्थात 2800/– ग्रेड पे में सीधे भर्ती करना चाहिए यह मामला विभागीय है रिक्रूटमेंट नियम के अनुसार विभाग को तय करना होगा।

6. नेवी और एयरफोर्स में कुछ कार्य ऐसे है जिन्हे सैनिक और सिविलियन दोनों कर्मचारी साथ–साथ करते है उन्हे टेक्निकल भत्ता दोनों तरह के कर्मचारियों को मिलना चाहिए।

7. एन0पी0एस0 के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी और कहा गया कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर CCS Pension Rule 1972 के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त हो रही थी उसे जारी रखा जाय।

वेतन आयोग ने कहा कि यह सरकारी योजना है जिसे वेतन आयोग बदल नही सकता। एन0पी0एस0 के सम्बन्ध में आप अपने सुझाव दे सकते है प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सितम्बर 2012 के निर्णय के अनुसार न्यूनतम पेंशन प्रत्येक कर्मचारी को उसके न्यूनतम वेतन का 50 प्रतिशत + मॅहगाई भत्ता की गारन्टी अवश्य होनी चाहिए। वेतन आयोग के सदस्यों ने आयुध निर्माणियों, नेवल डाकयार्ड की कार्यप्रणाली पर चर्चा की और कहा कि बहुत से कार्य जैसे स्वीपिंग आदि आउटसोर्सिंग के द्वारा होनी चाहिए।

इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए बी0पी0एम0एस0 प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि आउट सोर्सिंग से उत्पादों की गुणवत्ता पर सीधा असर पडता है इसलिये आउटसोर्सिंग को रोका जाना चाहिए। वेतन आयोग ने कहा कि वेतन वृद्वि के सापेक्ष उत्पादकता Efficiency में वृद्वि होनी चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि उत्पादक ईकाईयों को Long Term work load Users के द्वारा नही दिया जाता इस लिये उत्पादकता पर प्रभाव पडता है सरकार यदि Long Term work load उपलब्ध करायेगी तो निश्चित रूप से उत्पादकता में पर वृद्वि होगी।

8. मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी का कोटा केवल 5 प्रतिशत है इसमें वृद्वि की जानी चाहिए।

9. वेतन आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2016 से Implement हो और सभी भत्ते, Incentive आदि उसी तिथि से संशोधित किए जाये। वेतन आयोग ने कहा कि हम अपनी रिपोर्ट दिये हुए समय के अन्तर्गत प्रेषित करने का प्रयास करेंगे।

*****